# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 99/2025(GCMS 2025/410)**
**(RTI No. 212173862037395)**

**गुड्डी देवी उर्फ शारदा देवी** पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार गांव ढंन, डाकखाना मतलाहर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176023

**नाम**

लोक सूचना अधिकारी **एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**22.12.2025**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुड्डी देवी उर्फ शारदा देवी** उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी गुड्डी देवी उर्फ शारदा देवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> मुझे जो मुरब्बा (मुरब्बा नम्बर 39/35 चक 22 पी) तहसील अनूपगढ़ राजस्थान में 11.04.1973 को आवंटित हुआ था और वर्ष 1973 (24.10.1973) को आवंटन खारिज हो गया था। मुझे उपरोक्त मुरब्बा जो की बाद में किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा अलॉट हुआ, उस व्यक्ति का नाम, मौजा, टीका, तहसील, जिला व प्रदेश की जानकारी दी जाये और उपरोक्त व्यक्ति को उप–आयुक्त राहत एवं पुर्नवास राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाई जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना का अधिकार संख्या 99/2025**
(GCMS No. 2025/410)
(RTI No. : 212173862037395)

**लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनूपगढ** ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/754 दिनांक 21.11.2025 से अपील का जवाब प्रेषित करते हुए अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति प्रेषित की गई है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक आरटीआई/2024/383 दिनांक 03.09.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन दिनांक 05.08.2025 में आप द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित विशिष्टियां अंकित नहीं की गई है। अतः पूर्ण विवरण के अभाव में पत्रावली तलाश की जानी संभव नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्यख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। फलतः आपका आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। आप उक्तानुसार पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाकर या स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर एवं रिकॉर्ड की जमा सूचियों का अवलोकन कर नियमानुसार चाही गई पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

**लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी** चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कु[illegible] को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान [illegible] का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सू[illegible] अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आ[illegible]/निर्देश नही दिये जा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ. ने अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:07 IST
Reason: SelfAttested